न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिंह हाडा

...ख्या 18/14

तारीख रजू– 24/06/2014

...रकार जरिये तहसीलदार,गंगापुरसिटी।

बनाम

———प्रार्थी

...मारी पत्नि रेवाचन्द पल्लीवाल जैन निवासी बालाजी चौक गंगापुरसिटी।
...कुमार पुत्र रेवाचंद पल्लीवाल जैन निवासी बालाजी चौक गंगापुरसिटी।
...न पुत्र रेवाचन्द पल्लीवाल जैन निवासी गंगापुरसिटी (मृतक) का.मु.
...मती अर्चना पत्नि अभिनन्दन पल्लीवाल जैन निवासी बालाजी चौक गंगापुरसिटी।
...विकास पुत्र अभिनन्दन पल्लीवाल जैन निवासी बालाजी चौक गंगापुरसिटी।
...क्ता पुत्री अभिनन्दन पल्लीवाल जैन निवासी बालाजी चौक गंगापुरसिटी।
...क्ता पुत्री अभिनन्दन पल्लीवाल जैन निवासी बालाजीचौक गंगापुरसिटी।

———अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक–01/02/2016

...दार गंगापुरसिटी ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 प्रस्तुत ...किया है कि ग्राम गंगापुर तहसील गंगापुरसिटी मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 238 रकवा 1 ... 232 रकवा 2 बिश्वा, 233 रकवा 2 बीघा 8 बिश्वा, 234 रकवा 3 बीघा भूमि संवत 2003 ... मे माफी मंदिर श्री माधोगोविन्द जी अहतमाम पुजारी चिरंजीलाल वल्द माधोलाल ब्राहमण ... दर्ज थी। संवत 2019 मे भूमि एकीकरण होने पर भूमि एकीकरण विभाग द्वारा साविक नम्बर ...वा 7 बिश्वा के नवीन नम्बर 135 रकवा 1 बीघा 7 बिश्वा तथा साविक खसरा नम्बर 232 ... 233 रकवा 2 बीघा 8 बिश्वा, 234 रकवा 3 बीघा के नवीन नम्बर 123 रकवा 5 बीघा 10 ...ने एकीकरण खतौनी संवत 2019 मे खसरा नम्बर 123 रकवा 5 बीघा 10 बिश्वा, 135 ... बिश्वा बने है जो माफी मंदिर श्री माधोगोविन्द जी बहतमाम पुजारी चिरंजीलाल पुत्र ... की खातेदारी मे दर्ज करदी। उक्त भूमि को बिना किसी आदेश के जमाबन्दी संवत ...र्थी के पति/पिता श्री रेवाचंद पुत्र रिद्विचंद पल्लीवाल निवासी गंगापुरसिटी की खातेदारी ...या। उक्त अवैद्य एवं अनियमित प्रविष्ठि के निरस्तीकरण हेतु रेफरेन्स अदालत हाजा द्वारा .../03/84 से राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जिसमे राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक ...रेन्स स्वीकार कर जमाबन्दी संवत 2031–34 मे रेवाचंद पुत्र रिद्विचंद पल्लीवाल के नाम ...या था उसे निरस्त करने का आदेश एवं भूमि को वापस राजस्व रिकार्ड मे मंदिर श्री ... खाते मे अंकित करने का आदेश दिया। रेवाचन्द द्वारा विशिष्ठ अपील अन्तर्गत धारा 10 ... अधिनियम,1956 विरूद्व आदेश एकलपीठ राजस्व मण्डल आदेश दिनांक 25/08/93 ...की खण्डपीठ मे प्रस्तुत की जिसे 30/05/97 को खण्डपीठ द्वारा अपील सारहीन होने ...ई। मान.राजस्व मण्डल के उक्त आदेशो की पालना मे नामान्तरकरण संख्या 81 दिनांक ...करण खसरा नम्बर 135 के बने हाल खसरा नम्बर 228/573 रकवा 09.31 हेक्टर व ...म्बर 123 के बने हाल खसरा नम्बर 228/575 रकवा 1.31 हेक्टर को मंदिर श्री ... खातेदारी मे दर्ज किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 ...न्तर्गत उक्त नामान्तरकरण संख्या 81 दिनांक 05/02/98 को निरस्त कराने हेतु ...स्तुत की गई जिसे निर्णय दिनांक 31/07/02 से अपील सारहीन होने के कारण ...अदालत हाजा के उक्त निर्णय की अपील अप्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील ... के यहां प्रस्तुत की जिसमे दिनांक 09/10/2002 से अपील अपीलाण्ट स्वीकार की

...क्टर

रेफरेन्स संख्या 18/14 उनवानी सरकार बनाम मीना कुमारी वगै0

नम्बर 228/575, 228/573 की खातेदारी अपीलाण्ट के नाम किये जाने के आदेश प्रदान की पालना मे नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 03/02/2003 से अप्रार्थीगण के नाम की गई। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2068–71 मे हाल खसरा नम्बर 228/573 रकवा 0.31 नम्बर 228/575 रकवा 1.31 हेक्टर की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है जबकि के परिपत्र संख्या एफ/जी/ग/रा0/क–168 दिनांक 12.06.69 व 13/11/69 तथा 8757–83 दिनांक 18/10/79 द्वारा जिन मंदिर व धार्मिक स्थानो की भूमियो के अवैद्य के स्थान पर पुजारियो/सेवारतो या अन्य के नाम कर दिया है तो उन समस्त मामलो मे रेवन्यू एक्ट 1956 की धारा 82 के तहत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश है। अतः हाल /573 रकवा 0.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 228/575 रकवा 1.31 हेक्टर भूमि की खातेदारी से हटाया जाकर माफी मंदिर श्री माधोगोविन्दजी के नाम जमाबन्दी मे अंकन करवाने है।

नापत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई जो जरिये अधिवक्ता ील अप्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र का जवाब व लिखित बहस पेश की तथा दोनो पक्षो की नी गई।

कार ने प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यो का वर्णन करते हुए बहस मे तर्क दिया कि अप्रार्थीगण त है कि भूमि मंदिर की नही रही है। यदि भूमि राजस्व रिकार्ड मे सहवन से माधोगोविन्द मंदिर माधोगोविन्द के नाम दर्ज हो गई तो उन्हे दुरूस्ती करानी चाहिये थी। माधो र कस्बा गंगापुरसिटी एवं आसपास नही होवे यह तथ्य भी अप्रार्थीगण ने साबित नही तर्क को नही माना जा सकता है। राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय कानून सम्मत व न से रेफरेन्स पेश किया है। रेफरेन्स किसी भी समय पेश किया जा सकता है उसके ारित नही है। राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय की अपील करना या रेफरेन्स करना उचित लगा उसी अनुसार रेफरेन्स पेश किया गया है कानूनी नजीर अलग परिपेक्ष मे करण पर लागू नही होती है। अतः रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर माननीय र किया जाना चाहिये।

द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए वकील अप्रार्थीगण ने बहस मे बताया कि सीलदार द्वारा गलत रूप से पेश किया है। उनका तर्क है कि विवादित भूमि संवत स्त मे मंदिर माधोसिंह अहतमाम पुजारी चिरन्जीलाल वल्द माधोलाल ब्राहमण की उक्त भूमि के बारे मे राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय से 09/10/2002 को निर्णय के विरूद्व किसी प्रकार की अपील, रिवीजन, रिव्यू पेण्डिग नही है अतः वह है। उक्त मुकदमे मे तहसीलदार राज्य सरकार की ओर से पक्षकार थे इस तथ्य को तहसीलदार ने अपने प्रार्थनापत्र के मद नम्बर 7 मे स्वीकार किया है। इस प्रकार के प्रश्न पर ही खारिज योग्य है क्योकि राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय के लय द्वारा कोई प्रकरण सुनने का अधिकार नही रखती है। उन्होने आर.आर.टी आर.टी 2011(1) पेज 87, आर.आर.डी.1955 पेज 65,आर.आर.टी.2012(2) पेज 780, 54, आर.आर.डी. 1977 पेज 378 की नजीर पेश की है। विद्वान वकील अप्रार्थीगण दिया कि अप्रार्थीगण ने अपने जवाब मे यह खुलासा तथ्य अंकित किया है कि विवादित भूमि के खातेदार थे। मगनदेव का पुत्र रामजीवन हुआ था। रामजीवन माधोलाल था। माधो गोविन्द का पुत्र चिरन्जीलाल था। उक्त आराजी व्यक्तिगत रामजीवन के पुत्र माधो गोविन्द को माफी गोविन्द दर्ज कर दिया था। विद्वान मे यह भी तर्क दिया कि संवत 1925 मे खसरा नम्बर 166 रकवा 2 बीघा 15 द फता गूजर के नाम तथा 179 रकवा 4 बिश्वा रामजीवन वल्द मगनदेव ब्रा. बीघा 11 बिश्वा रामचन्द्र,डालू पि0आनन्दा व झूता वल्द नैना गूजर तथा 183 ला व ग्यारसा पि0 कासना गुर्जर की खातेदारी मे था। संवत 1980 (सन्

के नक्शा ट्रेस व संवत 1925 के नक्शा ट्रेस से हाल नक्शे से मिलान करते है। इन कृषको ने पुत्र मगनदेव गुजराती ब्राहमण को क्रियाकर्म के संस्कारो के अन्तर्गत दान की थी मंदिर की भूमि विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि कस्बा गंगापुरसिटी व उसके आसपास न्द नाम का कोई मंदिर नही है रेवाचंद पुत्र रिद्वीचंद ने 3000/–रू0 मे 08/12/58 को विक्रय पत्र से चिरन्जीलाल पुत्र माधो गोविन्द से क्रय की थी तभी से अप्रार्थीगण एवं उसके का कब्जा चला आ रहा है। उक्त मामले मे उपखण्ड अधिकारी गंगापुरसिटी द्वारा वाद संख्या दिनांक 27/02/86 से अप्रार्थीगण के पक्ष मे डिक्री किया गया है। उक्त वाद पत्र के बारे मे ने राजस्व मण्डल मे पेश किये रेफरेन्स मे कोई विवरण दावे के बाबत नही दिया है। उपखण्ड के निर्णय व डिग्री के विरूद्व कोई अपील पेश नही की है इस कारण भी रेफरेन्स नही चल सकता उपखण्ड अधिकारी की निरस्त करने के लिये अपील दायर की जानी चाहिये थी। तहसीलदार ने धिकारी की डिग्री को छुपाकर रेफरेन्स पेश किया जिसमे भी उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व निरस्त नही किया है क्योकि तहसीलदार ने उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री का उल्लेख नही किया है। अप्रार्थीगणके परिवारजन अपने अधिवक्तागण पर निर्भर रहे उन्हे कानूनी जानकारी ने अधिवक्तागण के द्वारा बचाव मे क्या तथ्य पेश किये की जानकारी नही रही है क्योकि राजस्व धिकारी सवाईमाधोपुर ने अपील संख्या 169/02 निर्णय दिनांक 09/10/02 से नामान्तरकरण के उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री के इन्द्राजो को बहाल कर दिया है। अतः तहसीलदार अपील प्राधिकारी के निर्णय के बारे मे अपील करनी चाहिये थी। इस कारण उनका प्रार्थनापत्र तथ्यो के परिपेक्ष्य मे चलने योग्य नही है। अतः रेफरेन्स प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

पक्षो के तर्को को गोर किया। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर ने अपील संख्या 169/02 जस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के तहत दिनांक 09/10/02 को दिये गये निर्णय से संबंधित तथ्यो का विवेचन किया है। राजस्व मण्डल मे नामान्तरकरण संख्या 74 का रेफरेन्स द्वारा प्रस्तुत किया गयाजिसमे उपखण्ड अधिकारी के निर्णय एवं डिग्री के तथ्य को तहसीलदार मण्डल के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया। इस परिपेक्ष मे राजस्व मण्डल द्वारा सम्पूर्ण तथ्यो व धिकारी की डिग्री के तथ्य को गोर किये बिना रेफरेन्स मे निर्णय पारित किया गया एवं उक्त धार पर नामान्तरकरण संख्या 81 दिनांक 05/02/98 को खोला उसे राजस्व अपील प्राधिकारी किया गया है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने विवेचन मे संवत 1925 एवं संवत 1984 के इन्द्राजो का विवेचन किया है उस समय भूमि विभिन्न खातेदारो के नाम दर्ज थी जिन्होने पुत्र मगनदेव भटट (गुजराती ब्राहमण) के क्रियाकर्म के कर्मकाण्डो के एवज दान दिये जाने से खातेदारी मे दर्ज हुई। जीवनलाल के वारीसान मे गोविन्द हुआ था उसी के नाम को भ्रमवश न्द दर्ज किये जाने का तर्क स्वीकार किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने नामान्तरकरण संख्या दिनांक 05/02/98 को निरस्त करते हुए नामान्तरकरण संख्या 74 निर्णय दिनांक 11/02/97 रखे जाने का आदेश उपखण्ड अधिकारी गंगापुरसिटी के निर्णय व डिग्री को सक्षम न्यायालय नही किये जाने से डिग्री के अनुसार किये गये इन्द्राजो को यथावत रखने का आदेश पारित तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र विवादित भूमि को मंदिर की होना बताते हुए पुनः रेफरेन्स –राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। अधिनियम की धारा 82 मे "आर्डर उल्लेख है। सिविल प्रकिया संहिता मे Order की परिभाषा धारा 2 की उपधारा 14 मे "Order the formal expression of any decision of a Civil Court which is not a दी गई है जबकि संहिता की धारा 2 की उपधारा 2 मे "Decree" means the formal ssion of an adjudication which. so far as regards the Court expressing clusively determines the rights of the parties with regard to all or any matters in controversy in the suit दोनो शब्दो की परिभाषा को गौर करने से

जला कलेक्टर
गंगापुर

रेफरेन्स संख्या 18/14 उनवानी सरकार बनाम मीना कुमारी वगै0

काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत जारी की गई डिग्री को राजस्थान भू–राजस्व की धारा 82 के तहत रेफरेन्स द्वारा निरस्त नही किया जा सकता है। पेरोकार सरकार का यह राजस्व मण्डल द्वारा पूर्व मे रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर मंदिर के नाम इन्द्राज कर दिये गये थे राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा गलत तौर से निरस्त कर दिया गया इस कारण राजस्व मण्डल को किया जावे। उनका तर्क स्वीकार योग्य नही है क्योकि रेफरेन्स के साथ राजस्व मण्डल के निर्णय पेश नही है लेकिन राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय मे तहसीलदार द्वारा राजस्व मण्डल करते समय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित डिग्री का तथ्य राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत नही माना है तथा उन्होने इसी परिपेक्ष मे निर्णय पारित किया है। अप्रार्थीगण की ओर से यह प्रस्तुत की गई है कि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील मे दिये गये निर्णय को निरस्त करने के उक्त जिला कलेक्टर सक्षम नही है। उन्होने इस संबंध मे कानूनी नजीरे प्रस्तुत की है। RRT 110 Collector can not make the reference against the order by RAA, 2011(1) RRT 87 Collector can make the reference against er passed by subordinate only held reference is not maintainable & ed. इसी मत का समर्थन RRD 1955 P-65 मे किया है। 2012(2) RRT 780 r was not competent to make reference since the RAA was not ate to him – held reference is liable to be rejected. RRD 1988 P- tional Collector being a court subordinate to Revenue Appellate can not be allowed to go behind order of letter. उक्त प्रस्तुत नजीरो से प्राधिकारी द्वारा अपील संख्या 169/02 निर्णय 09/10/02 के विरूद्व रेफरेन्सपर विचार धिकार इस न्यायालय को नही है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज किया जाता

आज दिनांक 01/02/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर